

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अग्बेडकर भवन, जी -3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक:- एफ 15 ()सा.वि./म.क./सान्याअवि/24-25/ 29 00

जयपुर दिनांक :- 31-1-2025

आदेश

मुख्यमंत्री कन्यादान (सहयोग एवं उपहार) योजना संचालन नियम 2015 क्रमांक 45327 दिनांक 13.07.2016 एवं आदेश क्रमांक 26019 दिनांक 29.04.2024 के बिन्दु 05 प्रक्रिया (1) "सहायता/अनुदान राशि प्राप्त किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन निश्चित विवाह तिथि से एक माह पूर्व या विवाह तिथि के छः माह तक संबंधित ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा " में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

नियम	उपनियम	संशोधित नियम
5	1	आवेदक द्वारा सहायता/अनुदान राशि प्राप्त किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन निश्चित विवाह तिथि से एक माह पूर्व या विवाह तिथि से 1 वर्ष पूर्ण होने तक संबंधित ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(बचनेश कुमार अग्रवाल)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Bachanesh
Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.01.31 18:30:54 IST
Reason: Approved

